न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2015

1. गोस्वामी श्याम मनोहर पुत्र दीक्षित श्री विठ्ठल नाथ जी, आचार्य/स्वामी मंदिर श्री बृजराज जी महाराज, निवासी नया शहर, किशनगढ़ (अजमेर) व 63, स्वास्तिक सोसायटी विलेपार्ला, मुम्बई (महाराष्ट्र)

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नि बाबूलाल रेगर निवासी पुरोहितो की ढाणी मदनगंज किशनगढ़
2. तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 13-1-20

उपस्थितः श्री गोविन्ददास पुरोहित प्रार्थी अभिभाषक

श्री रामदेव गुर्जर अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212(2) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी/वादी के पूर्वजो को ग्राम किशनगढ़–**B** (मदनगंज) के वर्तमान वादग्रस्त खसरा नम्बर 461, 521, 529 व 604 की कुल 75–12–00 भूमि किशनगढ़ राज्य द्वारा निजी भेट स्वरूप प्राप्त हुई है और प्रार्थी/वादी के पूर्वज सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के प्रचार/प्रसार हेतु अधिकतर बाहर प्रवास पर जाने के कारण वादग्रस्त खसरा नम्बर 521 की भूमि को काश्त हेतु संभलायी गई थी। प्रार्थी/वादी के पूर्वजो की सहमति/अनुमति से काश्त करने के बाद वादग्रस्त भूमि की उपज का 1/2 हिस्सा काश्तकार द्वारा प्रार्थी/वादी के पूर्वजो को अदा किया जाता था। प्रार्थी/वादी को अपने निजी कृषि आराजी पर उत्पन्न काश्त का हिस्सा अप्रार्थी/प्रतिवादीया सं0 1 से प्राप्त करने का अधिकार है। प्रार्थी/वादी द्वारा समय–समय पर अपने अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थी सं0 1/प्रतिवादीया सं0 1 को सूचित किया जाता रहा है, परन्तु अप्रार्थी सं0 1/प्रतिवादीया सं0 1 की नियत में फर्क

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

आ जाने के कारण उसके द्वारा पिछले कुछ वर्षो से काश्त की गयी फसल का हिस्सा प्रार्थी/वादी के निजी मन्दिर में जमा नहीं करवाया जा रहा है जिससे प्रार्थी/वादी को काफी आर्थिक क्षति हो रही है व प्रार्थी/वादी को अपनी निजी स्वामित्व की भूमि पर प्राप्त अधिकारों से अकारण वंचित होना पड़ रहा है जो उसके विधिक अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है। प्रार्थी/वादी ने अपने अभिभाषक द्वारा अप्रार्थी सं0 1/प्रतिवादीयां सं0 1 की वादग्रस्त खसरा नम्बर 521 की भूमि पर काश्त की सहमती/अनुमति को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 17.05.2013 समाप्त किया जा चुका है। प्रार्थी/वादी का उक्त रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी सं0 1/प्रतिवादीया सं0 1 को प्राप्त होने के बाद भी उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि को काश्त किया जा रहा है तथा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जाकर काश्त की भूमि को क्षति पंहुचाई जा रही है। प्रार्थी/वादी के वादग्रस्त भूमि में निहित विधिक हक व अधिकारों की रक्षा के लिए वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी/वादी को मूल वाद के निस्तारण तक अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित ग्राम मदनगंज के खसरा नम्बर 521 की 29–15–00 भूमि पर अप्रार्थी सं0 2 को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश जारी करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1/प्रतिवादीयां सं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ पेश किया गया गया। अप्रार्थी सं0 1/प्रतिवादीयां सं0 1 द्वारा अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् सन् 2013 में दावा पेश कर दिया एवं प्रार्थी द्वारा जानबूझकर दिनांक 13.04.2015 को दो वर्ष पश्चात् धारा 212(2) के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में वाद पेश किया गया उस वाद पत्र में दिनांक 08.05.2013 को विधिक नोटिस देना बताया गया है जबकि धारा 212(2) के पैरा सं0 7 में दिनांक 17.05.2013 को रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना अंकित किया गया है। दोनो तथ्य एक दूसरे के विपरित होने से प्रार्थी गलत तथ्य अंकित किये है। वास्तविकता में श्रीमती कमला देवी द्वारा उक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं किया जाकर इसके परिवार एवं अन्य ढाणी पुरोहितान के रेगरान समाज द्वारा उक्त आराजी में महाराधिराज महाराज अर्थात किशनगढ दरबार द्वारा लिखित निष्पादित तहरीर के द्वारा कई व्यक्तियों द्वारा उक्त आराजी में काश्त की जा रही है। प्रार्थी द्वारा वास्तविक तथ्यों व पक्षकारों को विलोपित करते हुए पक्षकार संयोजित किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश वाद में यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 183 का वाद लाने का अधिकार अभिधारी खातेदार द्वारा ही वाद लाया जा सकता है, जबकि उक्त आराजी में प्रार्थी किसी प्रकार का हित अधिकार नहीं रखता है इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश वाद धारा 183 के तहत् चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीया सं0 1 के पूर्वाधिकारी एवं अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा लगातार काबिज काश्त करते आ रहे है एवं विगत 40–50 वर्षो से लगान अदा करते आ रहे है एवं काबिज काश्त का प्रमाण खसरा गिरदावरी संवत 2025 से 2028 एवं 2021 से 2025 विशेष कॉलम में मुकना वल्द बींजा, केल्या वल्द बींजा रेगर का नाम अंकित किया गया है। प्रार्थी का उक्त आराजी में किसी प्रकार का हित अधिकार, स्वामित्व नहीं है। प्रार्थी स्वयं उक्त आराजी को भेंट स्वरूप दिनांक 26.06.1925 प्राप्त करना बताया गया है जबकि उक्त वाद व प्रार्थना पत्र में यह अन्य जो पेश किये गये वादो में भेट का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी सं01 द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी ने अपने अभिभाषक द्वारा अप्रार्थी सं0 1/प्रतिवादीयां सं0 1 की वादग्रस्त खसरा नम्बर 521 की भूमि पर काश्त की सहमती/अनुमति को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 17.05.2013 समाप्त किया जा चुका है। प्रार्थी/वादी का उक्त रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी सं0 1/प्रतिवादीया सं0 1 को प्राप्त होने के बाद भी उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि को काश्त किया जा रहा है तथा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जाकर काश्त की भूमि को क्षति पंहुचाई जा रही है। जिसके आधार पर प्रार्थी वकील द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश जारी करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि यह नहीं है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी भी पक्ष का कब्जा नहीं है जिसके कारण रिसिवर नियुक्ति की आवश्यकता हो। स्वयं प्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा है। अतः रिसिवर नियुक्ति के आधार पर कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है।

5. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया गया।

6. विचाराधीन प्रकरण में निम्न बिन्दू विचारणीय है :–

(1) **In Medio** अर्थात क्या उक्त विवादित आराजी पर किसी भी पक्ष का कब्जा सिद्ध नहीं हो रहा है। यह सही है कि रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि के मंदिर श्री बृजराज जी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

महाराज स्थान देह खुद काश्त खातेदार है परन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही प्रथम दृष्टया प्रार्थी का कब्जा प्रतीत नहीं होता है। रिसिवर नियुक्त करना एक कठिनतम उपाय है एवं इसे सामान्यतः प्रयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। रिसिवर नियुक्ति के आधाार पर किसी कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त परिस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13-1-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.02.13 13:22:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: